

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2019/00882


95/2019

अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

कुलदीप तिवाड़ी बनाम लोक सूचना अधि० एवं जिला रसद अधिकारी, अजमेर

किस्म मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005

प्रकरण संख्या 95 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/11/2019	<p>पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, प्रथम, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। चाही गई बिन्दू संख्या 1 से 7 की सूचना पुरानी, अति विस्तृत, श्रम साध्य व पर व्यक्ति से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबध नहीं रखता है। वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत अदेय है, सहित बिन्दुवार प्रत्युत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी को पत्र दिनांक 14.11.2019 से प्रेषित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वार प्रस्तुत मूल आवेदन के तहत वांछित सूचना का, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विवेचन कर नियमानुसार देय सूचना/प्रत्युत्तर अपीलान्ट/प्रार्थी को 10 दिवस की अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। अपील, अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p> (विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर, अजमेर</p>	